

फर्द अहकाम  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर  
(जिला जोधपुर)

सुमेर खां पुत्र सुल्तान खां

बनाम

सिकन्दरखां पुत्र निजामूदीन वगेराह

किस्म मुकदमा - धारा 188 रा.काश्त. अधि.नि. (मुकदमा नम्बर 03/2025)

(वर्ष 2025)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
07.01.2025	<p>वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगणों को सम्मन जरिये रजिस्टर डाक से प्रेषित करते हुए रसीदे एवं ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 10.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">२५</p> <p>10/2/25 पत्रावली प्रस्तुत की गयी। जिला अधिकारी राजकीय कार्य/मुनाफ कार्य के अन्तर्गत पत्रावली शतक लेकर दिनांक 18/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">२५</p>	
8/3/25	<p>वादी द्वारा मा.न.वि. के अन्तर्गत पत्रावली जारी की गयी। मा.न.वि. के अन्तर्गत किया गया है कि जो उक्त वाद के किसी प्रकार की कोई कागुली कापवाही नहीं करना चाहता है। अतः वादी का मा.न.वि. के अन्तर्गत किया जाये। पत्रावली जारी किया जाये। रजिस्टार की गयी है। पत्रावली गठक से कर लेकर पीछला पत्रावली है।</p> <p style="text-align: right;">२५</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी, बालेसर</p>	